सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/SER-1180/JH/77/2023-RO-RNC-RU-IV दिनांक: 28.01.2026

सेवा में,

1 **सचिव,**
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
झारखंड शासन,
एमडीआई भवन,
रांची, झारखंड 834004
Email Id: hrdjharkhand@gmail.com

2 **निदेशक,**
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
एमडीआई भवन, ग्राउंड फ्लोर,
धुर्वा, रांची,
रांची, झारखंड 834004
Email Id: planedujhar@gmail.com

विषय: अभ्यावेदिका श्रीमती प्रभा मिंज, (सहायक शिक्षिका), राजकीय मध्य विद्यालय, उमेडण्डा (बालक) बुड़मू, जिला - राँची, झारखण्ड से प्राप्त अभ्यावेदन "कार्यस्थल में प्रताड़ित किये जाने के संबंध में" ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 24.12.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय

यो.प्र. यादव

(यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav)
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रतिलिपि:

श्रीमती प्रभा मिंज,
राजकीय मध्य विद्यालय,
उमेडण्डा (बालक) बुड़मू,
राँची, झारखण्ड - 835214
Mobile No:9308022549

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/SER-1180/JH/77/2023-RO-RNC

कार्यस्थल में प्रताड़ना किए जाने के संबंध में श्रीमती प्रभा मिंज (सहायक शिक्षिका) राजकीय मध्य विद्यालय, उमेडण्डा (बालक) बुड़मू , राँची, झारखण्ड के मामले में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष दिनांक 24.12.2025 को आयोग के मुख्यालय, नई दिल्ली में हुई सिटिंग का कार्यवृत।

सुनवाई की तिथि एवं समय : 24.12.2025 को 02:30 बजे अपराह्न
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-। के अनुसार

मामले में श्रीमती प्रभा मिंज (सहायक शिक्षिका) की शिकायत दिनांक 07.12.2023 आयोग में प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने आयोग को अवगत कराया कि दिनांक 31.10.2023 को विद्यालय प्रभारी श्री सुदीप कुमार ने शिकायतकर्ता को ऑफिस में बुलाकर छेड़छाड़ की और तरह-तरह के प्रलोभन दिए। इसका विरोध करने पर श्री सुदीप कुमार ने शिकायतकर्ता को गंदी-गंदी जाति सूचक गालियाँ दीं और उन पर थूक दिया। शिकायतकर्ता ने यह उल्लेख किया कि प्रभारी शिक्षक की इस हरकत से वह काफी डरी हुई हैं। अत: उन्होंने न्याय के लिए आयोग से अनुरोध किया है |

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, धुर्वा, राँची झारखण्ड एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय , धुर्वा, राँची झारखण्ड को नोटिस दिनांक 15.12.2023 भेजा गया।

3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में कोई उत्तर/रिपोर्ट प्राप्त न होने पर आयोग की माननीया सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) द्वारा दिनांक 06.01.2025 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की गई थी |

4. पिछली सुनवाई के दौरान संयुक्त सचिव एवं अवर सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड शासन आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। जिला प्रशासन, रांची के संबंधित अधिकारी एवं शिकायतकर्ता सुनवाई में अनुपस्थित रहे।

5. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुसंशाएँ की गई :

i. मामले में आरोपी का स्थानांतरण किया जाए और भविष्य में इस तरह की घटना किसी अन्य महिला के साथ न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
ii. मामले में 15 फरवरी 2025 तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए।
iii. मामले में शिकायतकर्ता, संबंधित विभाग और आयोग की ओर से मामले में अपेक्षित कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, रांची को विषय से अवगत कराया जाए।

आशा लकड़ा

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

6. आयोग के कार्यवृत के संदर्भ में रिपोर्ट दिनांक 18.02.2025 प्राप्त हुई जिसे आयोग के पत्र दिनांक 30.06.2025 के माध्यम से अभ्यावेदिका को अग्रेषित किया गया |

7. अभ्यावेदिका के अनुरोध पर मामले में पुनः दिनांक 24.12.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई | तदनुसार सिटिंग नोटिस दिनांक 18.12.2025 सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार को जारी किया गया |

8. सचिव सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पत्रांक 2507 के माध्यम से संयुक्त सचिव , स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए नामित किया गया | सुनवाई के दिन संयुक्त सचिव , स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग आयोग के समक्ष उपस्थित हुए | अभ्यावेदिका सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रही |

सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा मामले में निम्नलिखित अनुसंशाएँ की जाती हैं :

(i) सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा आयोग को प्रेषित कार्रवाई प्रतिवेदन दिनांक 22.12.2025 को इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न करते हुए अभ्यावेदिका की जानकारी एवं अवगतार्थ भेजा जाए।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में आरोपी विद्यालय प्रभारी की पदस्थापना उस विद्यालय अथवा उसी कार्यस्थल पर न की जाए, जहाँ अभ्यावेदिका कार्यरत हैं, ताकि उन्हें मानसिक उत्पीड़न, भय अथवा असुरक्षा की भावना का सामना न करना पड़े तथा उनके लिए सुरक्षित एवं गरिमामय कार्य वातावरण बना रहे।

आशा लकड़ा
20/01/2026

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Sitting to be held on **24.12.2025 at 02.30 P.M**- अभ्यावेदिका **श्रीमती प्रभा मिंज**, राजकीय (सहायक शिक्षिका) मध्य विद्यालय, उमेडण्डा बुड़मू (बालक), जिला राँची -, झारखण्ड से प्राप्त अभ्यावेदन "कार्यस्थल में प्रताड़ित किये जाने के संबंध में"

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
II	**Officers from O/o Secretary, Department of School Education and Literacy, Government of Jharkhand**		
1.	Moinuddin Khan Joint Secretary		[signature]
2.			
3.			
III	**Officers from O/o Director, Department of Secondary Education, Government of Jharkhand**		
1.			
2.			
3			
IV	**Petitioners**		

पत्रांक–06/वि०–01/2023 2506

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

श्री यो. प्र. यादव,
उप सचिव,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

राँची, दिनांक– 22-12-2025

विषय :– **श्रीमती प्रभा मिंज, सहायक शिक्षिका, राजकीय मध्य विद्यालय, उमेडण्डा (बालक) बुढ़मू, राँची, झारखण्ड से प्राप्त अभ्यावेदन "कार्यस्थल में प्रताड़ित किये जाने के संबंध में" कृत कार्रवाई का प्रेषण ।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक–NCST/SER-1180/JH/77/2023-RO-RNC-RU-IV दिनांक–18.12.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कृत कार्रवाई प्रतिवदेन/तथ्य निम्नवत्त है :–

1. श्रीमती प्रभा मिंज, सहायक शिक्षिका, राजकीय मध्य विद्यालय, उमेडण्डा (बालक) बुढ़मू, राँची द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक, श्री सुदीप कुमार द्वारा दिनांक–31.10.2023 को कार्यस्थल पर उत्पीड़न, शोषण एवं धमकी के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली में अभ्यावदेन समर्पित किया गया। **(परिशिष्ट–1)**
2. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–NCST/SER1278/JH/1/2024-SSW दिनांक–11.11.2024 के द्वारा विभागीय सचिव को दिनांक–18.11.2024 को बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया गया। **(परिशिष्ट–2)**
3. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड के पत्रांक–1382 दिनांक–18.11.2024 द्वारा मामले की जांच हेतु उपायुक्त, रांची को समिति गठित कर कराने का निदेश दिया गया। उपायुक्त–सह–जिला दंडाधिकारी, रांची के कार्यालय (जिला शिक्षा कार्यालय) के पत्रांक–3142 दिनांक–18.12.2024 द्वारा विभाग को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। **(परिशिष्ट–3 (i), (ii))**
4. उपायुक्त, रांची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी शिक्षक के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए समतव्य जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची को संचालन–सह–जांच पदाधिकारी एवं क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, माण्डर, रांची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करते हुए निदेशालीय आदेश सं०–1532, दिनांक–24.12.2024 को निदेशित किया गया। **(परिशिष्ट–4)**

क्रमश 2

5. जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची के पत्रांक–160, दिनांक–16.01.2025 के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विभागीय कार्यवाही अन्तर्गत शिकायतकर्त्ता शिक्षिका एवं आरोपी शिक्षक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक–02, 03 एवं 04.01.2025 को युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया। शिकायतकर्त्ता श्रीमती प्रभा मिंज एवं आरोपी शिक्षक, श्री सुदीप कुमार निर्धारित तिथि को अपना पक्ष प्रस्तुत किए। जांच प्रतिवेदन में घटना के दिन संबंधित आरोपी शिक्षक सहित उपस्थित विद्यालय के सभी शिक्षक/कर्मियों/अन्य की गवाही एवं लिखित बयान के आधार पर घटना होने की पुष्टि नहीं हुई है तथा गठित आरोप प्रमाणित होते नहीं पाए गए हैं। जांच निष्कर्ष में निवर्त्तमान विद्यालय प्रभारी आरोपी शिक्षक श्री सुदीप कुमार एवं शिकायतकर्त्ता तथा अन्य शिक्षकों के मध्य परस्पर सद्भाव की कमी एवं समन्वय का अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। **(परिशिष्ट–5)**

6. विदित हो कि जिला शिक्षा स्थापना समिति, रांची की दिनांक–06.03.2025 की बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST/SER1180/JH/77/2023-RO-RNC दिनांक–06.02.2025 के द्वारा दिनांक–06.01.2025 को आयोग में की गई सुनवाई में दिए गए निदेश के आलोक में आरोपी शिक्षक को स्थानांतरित करते हुए राजकीय मध्य विद्यालय बारूडीह, तमाड़, राँची में पदस्थापित किया गया जहाँ उनके द्वारा योगदान समर्पित नहीं किया गया। मामला संज्ञान में आते ही आरोपी शिक्षक को जिला शिक्षा अधीक्षक, रांची के पत्रांक–3069, दिनांक–25.10.2025 के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बूढ़ाडीह कन्या, तमाड़, रांची में स्थानांतरित करते हुए पदस्थापित किया गया जहाँ वे सम्प्रति कार्यरत हैं। **(परिशिष्ट–6)**

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

24/11/25

उमाशंकर सिंह
(सरकार के सचिव)